संघे शक्ति कलयुगे

मध्यप्रदेश पटवारी संघ जिला सिवनी

(शासन द्वारा मान्यता प्राप्त)

पंजीयन क्र. 3473 दि. 12.11.73 एवं शासन से मान्यता प्राप्त दि. 16.11.96

अध्यक्ष
सुदेश सिंह ठाकुर
मो. 9425445639

सचिव
हिमांशु तिवारी
मो. 7974299303

क्रमांक/ 0015 /म०प्र०प०सं०/2026 जिला सिवनी, दिनांक :04/02/2026

प्रति,

1. प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, वल्लभ भवन भोपाल, म.प्र.
2. आयुक्त-भू संसाधन प्रबंधन, ग्वालियर, म.प्र.

द्वारा- कलेक्टर महोदय जिला सिवनी म.प्र.

विषय- पटवारी साथियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महोदय जी,

मध्यप्रदेश में पदस्थ पटवारी अपनी सेवा का निर्वहन पूरी निष्ठा से लगातार कर रहे है परन्तु उनके कार्य के दौरान आने वाली कुछ न्यायोचित समस्याएं है जिनका निराकरण शासन स्तर पर उचित समय सीमा में किया जाना अतिआवश्यक है, समस्याएं इस प्रकार है-

1. **जियोटैग गिरदावरी-** शासन द्वारा लगभग 3 वर्षों से सर्वेयर द्वारा गिरदावरी करवायी जा रही है, परन्तु सर्वेयर को मानदेय भुगतान ना होने के कारण वे कार्य नहीं कर रहे हैं जिस कारण से गिरदावरी अंततः पटवारी को करनी पड़ रही है जहां एक सर्वेयर द्वारा अधिकतम 1000 खसरे की गिरदावरी का प्रावधान है परन्तु उनके द्वारा कार्य ना किये जाने के कारण पटवारी को अपने सारे हल्कों के सारे गांवों में स्वयं गिरदावरी करनी पड़ रही है जहां खसरों की संख्या लगभग 5 से 10 हजार हैं और ऐसी स्थिति में खसरा आधारित जिओटैग गिरदावरी किया जाना संभव नहीं है अतः आपसे निवेदन है कि पटवारी की आईडी से खसरे आधारित जिओटैग हटाई जाकर ग्राम स्तर पर गिरदावरी करवाये जाने का प्रावधान किया जाए।

2. **फार्मर आई डी-** फार्मर आई पटवारी के साथ-साथ सी एस सी सेंटर, एमपी ऑनलाईन से बनवाई जा रही है जिनका उन्हें भुगतान भी किया जा रहा हैं, पर शासन द्वारा पटवारी को इस संबंध में दबाव दिया जा रहा है जो अनुचित है, साथ ही इसमें अनेक विसंगतियां है जैसे कई खातेदार व सहखातेदारों का अन्यत्र निवास करना, पोर्टल पर उपलब्ध डाटा त्रुटिपूर्ण होना, आई बन जाने के बाद भी पैंडिंग सुची में खसरे पैंडिंग दिखाई देना, कई खसरें आई डी बनाने हेतु पोर्टल पर उपलब्ध ना होना आदि। इन सारी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाये और इस कार्य हेतु अनावश्यक दबाव बनाकर एवं कार्यवाही करके पटवारी साथियों को प्रताड़ित ना किया जाए।

Scanned by CamScanner

3. नवोदित पटवारियों को 100 प्रतिशत सैलरी- नवनियुक्त पटवारी साथियों को नियुक्ति पत्र वितरण के समय तात्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह घोषणा की गई थी कि नवनियुक्त पटवारियों को नियुक्ति दिनांक से ही 100 प्रतिशत सैलरी दी जायेगी परन्तु शासन द्वारा यह आदेश आज दिनांक तक लम्बित है परन्तु वर्तमान में माननीय हाईकोर्ट जबलपुर से म.प्र. के शासकीय कर्मचारियों के हित में ये आदेश पारित किया गया है कि जो पटवारी साथी 70, 80, 90 प्रतिशत सैलरी के दायरे में आ रहे है, उन्हें 100 प्रतिशत सैलरी दी जाए और शेष राशि का एरियर जल्द दिया जाये। अतः इस आदेश के परिपालन में म.प्र. में पदस्थ सभी नवोदित पटवारी साथियों की सैलरी 100 प्रतिशत की जाकर शेष लम्बित राशि जल्द से जल्द एरियर के रूप में प्रदान की जायें।

4. संतान पालन अवकाश - शासन द्वारा पूर्व में महिला कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश के दौरान 2 वर्ष के लिए 100% वेतन दिया जाता था जिसे वर्तमान में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 लागू दिनांक 01 जनवरी 2026 के माध्यम से प्रथम वर्ष हेतु 100% एवं द्वितीय वर्ष हेतु 80% कर दिया गया है । जैसा कि विदित है कि वर्तमान में महिला कर्मचारी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषो के कंधे से कंधा मिलाकर शासन की जनहितैशी योजनाओ को क्रियान्वित करने में महती भूमिका निभा रही है | साथ ही उन्हें संतान पालन के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियो का सामना करना होता है ठीक उसी समय उनके वेतन में की जाने वाली कटौती निश्चित रूप से उनके मनोबल को गिराने वाली साबित होगी |अतः निवेदन है कि इसे पूर्व की भांति दोनों वर्ष हेतु 100% किया जाये ।

5. वेतन वितरण विसंगति से संबंधित समस्याएं- भत्ते आदि के हेड में पर्याप्त राशि ना होने के कारण कई जिलों में भत्ते काटकर सैलरी दी जा रही है अतः भत्ते के मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाये ताकि इस प्रकार की विसंगति ना हो।

6. शेष मानदेयों का भुगतान- स्वामित्व योजना, कृषि संगणना, लघु सिंचाई संगणना का लम्बित मानदेय जल्द दिया जाए और ऑनलाईन समस्त कार्यों के लिये मोबाइल फोन की राशि भी जल्द दी जाए।

जिलाध्यक्ष

मध्यप्रदेश पटवारी संघ जिला शाखा सिवनी

04/02/2026

Scanned by CamScanner